



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 16.10.2025

- थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध अस्त्र-शस्त्र व कारतूस के साथ 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 12 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व 1 चाकू बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 15.10.2025 को थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/वस्तु की चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त शकील पुत्र गुलाम हुसैन निवासी कस्बा डेरापुर (तहसील के पास) थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात उम्र 40 वर्ष को मय 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा अभियुक्त यूनिस अली पुत्र कल्लू शाह निवासी ग्राम तिगाई थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 40 वर्ष को मय 01 चाकू के साथ तिगाई मोड से हसनापुर रूरा वाईपास की तरफ 300 मीटर पहले से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रूरा पर मु0अ0सं0 322/2025 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण –

1. शकील पुत्र गुलाम हुसैन उम्र करीब 40 वर्ष निवासी कस्बा डेरापुर (तहसील के पास) थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।
2. यूनिस अली पुत्र कल्लू शाह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम तिगाई थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

01 तमन्चा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

01 चाकू।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम दोनों लोग तमन्चा व कारतूस एवं चाकू अपनी सुरक्षा के लिये एवं लोगों को डराने धमकाने के लिये अपने पास रखते हैं। आज भी हम दोनों व्यक्ति, लोगों को डराने धमकाने के लिये निकले थे कि आप पुलिस वालों ने हम दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया।

अभियुक्त शकील उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 322/2025 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त यूनिस् अली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 370/2018 धारा 3(1)उ०प्र०गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात ।
2. मु0अ0सं0 498/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात ।
3. मु0अ0सं0 128/2018 धारा 364-A/368 भारतीय दण्ड संहिता थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात ।
4. मु0अ0सं0 149/2016 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रूरा पुलिस